कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी(राज0)

क्रमांक : स्था0 / 2024 / 327 दिनांक : 20/11/2024

–:: कार्यालय आदेश ::–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : स्था0 / 2024 / 318, दिनांक 08.11.2024 द्वारा नवनियुक्त **आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय (हिन्दी)** की पात्रता की जाँच पश्चात् निम्न लिखित प्रकार से उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय (हिन्दी) के रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन कार्यालय
1.	**सुश्री गरिमा शर्मा**	**सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, केपाटन**

नोट :–

1. नवनियुक्त आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय को आदेशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति से **07 कार्य दिवस में** पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करवाये।
2. नियुक्ति आदेश दिनांक 08.11.2024 व उक्त आदेश की प्रविष्टि नवनियुक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में की जाये।
3. पीठासीन अधिकारी नवनियुक्त आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय के ज्वॉईनिंग की सूचना उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख सहित **अविलम्ब** इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

संलग्न–नियुक्ति आदेश दिनांक 08.11.2024 की प्रति।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी(राज0)

क्रमांक : स्था0 / 2022 / 11 / 04 / 10524-10529 दिनांक : 30/11/2024

प्रति निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रभारी अधिकारी(लेखा शाखा), जिला एवं सेशन न्यायालय, बून्दी
2. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, के0पाटन
3. सिस्टम अधिकारी, जिला एवं सेशन न्यायालय,बून्दी (आदेश कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने, आदेश की प्रति सम्बन्धित की ई–मेल आईडी पर ई–मेल करने तथा मोबाईल नम्बर पर पदस्थापन आदेश जारी होने की सूचना देने हेतु)
4. व्यक्तिगत पंजिका एवं सुश्री गरिमा शर्मा पुत्री श्री नन्द किशोर शर्मा निवासी 1 / 135, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, टोंक(राज0)
5. रक्षित पत्रावली।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी(राज0)

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी (राज0)

क्रमांक : स्था0 / 2024 / 318 दिनांक : 08/11/2024

– आ दे श –

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या : रा.उ. न्या.जो. / परीक्षा प्रकोष्ठ / अधीनस्थ न्यायालय / आशुलिपिक / 2023 / 1515, दिनांक 28.07.2023, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक : G/I/A-4(i)(a)151/22/1058, दिनांक 06.11.2024 व राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित नियम) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के लिए परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिए राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम,2017 में **आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय (हिन्दी)** के पद पर **अस्थायी तौर पर** कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह / दो वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना संख्याः एफ–15(1)एफ. डी.(नियम) / 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पे मेट्रिक्स लेवल संख्या–10 (33800–106700) में **23700 / –रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक** पर निम्नांकित की नियुक्ति निम्न लिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

S. No	Roll No.	Date of Birth	Name of Candidate & Address	Gender	Scateg
1	26059	24.01.1999	**Garima Sharma** D/o Sh. Nand Kishor Sharma R/o 1/135, Housing Board Colony Tonk(Raj.) Pin-304001	Female	GEN

1. उक्त नियुक्ति आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय की संयुक्त परीक्षा, 2023 के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य–व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण–पत्रों के सम्बन्धित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी को यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) रूप से Subject to Police Verification एवं बायोमेट्रिक सत्यापन के अधीन दी जा रही है।
6. नियुक्ति पत्र के साथ पुलिस सत्यापन हेतु आवश्यक प्रारूप प्रेषित किये जा रहे हैं जिन्हें अभ्यर्थी अपने से सम्बन्धित सूचनाएँ भरकर / यथास्थान नवीन फोटो चस्पा कर उपस्थिति के समय दो प्रति में कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
7. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार / माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नियम / परिपत्र लागू होंगे।
8. राज्य सरकार या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नियम / परिपत्रों के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।

8/11/24

——2.

9. अभ्यर्थी को **दिनांक 12 नवम्बर, 2024 को कार्यालय समय में** इस कार्यालय में समस्त मूल दस्तावेजात व उनकी एक–एक फोटो प्रति साथ लेकर उपस्थित होना होगा। अन्यथा यह माना जावेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
10. नव नियुक्त अभ्यर्थी पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
11. अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. अभ्यर्थी को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान होने का घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट जयपुर, दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
14. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक : Estt.B2(xi)e/ 118/2023 /3313, दिनांक 19.08.2023 की पालना में राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 के नियम 25 (ए)(ii) के अन्तर्गत अपना/अपने माता–पिता/संरक्षक/अपने पति/अपनी पत्नी एवं अपने सास–श्वसुर का घोषणा पत्र इस बाबत् प्रस्तुत करना होगा कि कर्मचारी द्वारा, उपरोक्त सम्बन्धियों या अन्य द्वारा विवाह के पूर्व/विवाह के समय/पश्चात् प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपने उपरोक्त सम्बन्धियों या किसी अन्य से दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में परिभाषित दहेज नहीं लिया/दिया गया है एवं न ही भविष्य में दहेज लिया/दिया जायेगा।

नोट :– पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।

संलग्न–उपर्युक्तानुसार।

(अजय शुक्ला) 8/11/2024
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी (राज0)

क्रमांक : स्था0/2024/9932–9935 दिनांक : 08/11/2024

प्रति निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा) जिला एवं सेशन न्यायालय, बून्दी।
2. सिस्टम अधिकारी, जिला एवं सेशन न्यायालय, बून्दी (आदेश कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने, आदेश की प्रति सम्बन्धित अभ्यर्थी की ई–मेल आईडी पर ई–मेल करने तथा अभ्यर्थी के मोबाईल नम्बर पर नियुक्ति आदेश जारी होने की सूचना देने हेतु)
3. सम्बन्धित सुश्री गरिमा शर्मा पुत्री श्री नन्द किशोर शर्मा निवासी 1/135, हाउसिंग बोर्ड, टोंक(राज0) को **स्पीड पोस्ट से**
4. रक्षित पत्रावली।

8/11/2024
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी (राज0)